



2026:AHC:130440

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21956 वर्ष 2026

पवन कुमार

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: देवेश कुमार

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, श्री प्रकाश

द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश कुमार के होल्टिंग ब्रीफ श्री हेमंत शुक्ला, प्रथम शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री प्रकाश द्विवेदी के होल्टिंग ब्रीफ श्री विपिन शुक्ला, अधिवक्ता श्री राजेश कुमार राव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. वर्तमान जमानत याचिका आवेदक को प्रकरण अपराध संख्या 23 वर्ष 2026 में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 109(1), 115(2), 351(3), 352, 3(5), 191(2), 74 और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत, थाना- चुनार, जिला- मिर्जापुर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिकी में आवेदक का नाम नहीं है। प्राथमिकी दस नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान परिस्थितियों

वाले सह-आरोपी प्रिंस कुमार को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2026 को आपराधिक विविध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत आवेदन संख्या 17040 वर्ष 2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है और वह 05.05.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है, हालांकि वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि सह-आरोपी को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

6. सह-आरोपी प्रिंस कुमार को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17040 वर्ष 2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी गई है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। घटना के लगभग दो महीने बाद आवेदक का नाम सामने आया है। दस नामजद आरोपियों के साथ-साथ एक अज्ञात व्यक्ति को भी हमले में मुख्य भूमिका सौंपी गई है।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया जमानत का प्रकरण बनता है।

8. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. उपर्युक्त प्रकरण अपराध संख्या में आरोपी-आवेदक पवन कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण की गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

अइमान